न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—32/2022 (2022/80) वाद पत्र

अनवान

1—पारसदेवी पुत्री बंशीदास बैरागी पत्नि गोपाललाल वैष्णव नि.राणास हा.खजुरिया तह.सहाड़ा
2—गीतादेवी पुत्री बंशीदासबैरागी पत्नि कैलाशचन्द्र वैष्णव नि.राणास हा.फियावड़ी तह.कुवारिया

वादीगण

बनाम

1—बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरीश टेलर— अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः—14.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व अन्य प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात संख्या 1213 रकबा 0.15 हैक्ट, 1322 रकबा 0.22 हैक्ट, 1323 रकबा 0.66 हैक्ट 1324 रकबा 0.02 हैक्ट, गेमु आचा, 1382 रकबा 0.09 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 1.14 हैक्ट भूमि राजस्व खाता संख्या 158 पर विपक्षी संख्या 01 बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास बैरागी के नाम पर तन्हा रूप से दर्ज रेकार्ड हैं। इसी प्रकार राजस्व ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व अन्य प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात संख्या 1217 रकबा 0.03. हैक्ट गेमु आचा., 1218 रकबा 0.05 हैक्ट, 1320 रकबा 0.30 हैक्ट, कुल किता 03 कुल रकबा 0.38 हैक्ट भूमि राजस्व खाता संख्या 159 पर दर्ज होकर इसमें विपक्षी संख्या 01 बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास बैरागी का 1/8 हिस्सा दर्ज हैं व अन्य शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का हैं। इनके साथ गेमु.आचा की आराजी संख्या 311 रकबा 0.02 हैक्ट, 699 रकबा 0. 07 हैक्ट, गेमु आचा, 1237 रकबा 0.04 हैक्ट कुल तीन कुऐं स्थित हैं। जिसमें विपक्षी संख्या 01 का हक एवं हिस्सा निहित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 साथ प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजीयात पुर्व में प्रार्थीगण के दादा मगंनीराम दास पिता मीठालालदास बैरागी के समय से चली आ रही और मंगनी रामजी के कोई औलाद नही होने से विपक्षी संख्या 1 बंशीदास जी जो कि हम प्रार्थीगण के सगे पिता है को गोद रखा और विपक्षी संख्या 1 बंशीदास जी की हम प्रार्थीगण जायन्दी पुत्रीयां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस है जिससे उक्त वर्णित कृषि आराजीयात हम प्रार्थीगण एंव विपक्षी संख्या 1 की पैतृक एंव मौरुसी भुमिया है जिससे हम प्रार्थीगण का भी उक्त भमियों वर्णित मे भी में हम प्रार्थीगणो का जन्म से हक अधिकार निहीत है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक नम्बर 647/1, 697/5697/4734/4, 648 मीन, 653/2, 695,

363, 205/6 है जो मंगनी राम पिता मीठा लाल बैरागी के नाम दर्ज है और विरासत से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जरिये नामान्तंरण संख्या 122 दिनांक 29.04.1971 के जरिये दर्ज हुई है प्रमाण मे नकल जमाबदी संवत् 2027 से 2030 व नामान्तरणकरण संख्या 122 व मीलान क्षेत्रफल की प्रति साथ प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 1 करीबन 25 वर्ष से अन्धे है उनकी नजर चली गई है व हम प्रार्थीगण की माता व विपक्षी संख्या 1 पत्नी शंकरी देवी की मृत्यु हो चुकी है तथा विपक्षी संख्या 1 बंशीदास जी के अन्धे होने का का गांव के अन्य भाई—बन्धं लाभ उठा कर उक्त वर्णित प्रार्थीगण की पेतृक एंव पुश्तैनी भुमियों को उनके नाम पर खुर्द—बुर्द करने पर आमदा है जबकी विपक्षी संख्या 1 बंशीलाल जी की सेवा चाकरी भरण पोषण सुश्रुषा आदी हम प्रार्थीगण ही कर रहे है और विपक्षी संख्या 11 को कीसी भी रूप से भुमियों को विक्रय करने या खुर्द—बुर्द करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर भी लोगों के बहकावें में आकर हम प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भुमियों में निहीत हम प्रार्थीगणों के कानुनी हक अधिकार से वंचित करने पर आमदा है जिससे हम प्रार्थीगणों को हमारे हक एंव हिस्से की घोषणा करवाने की आवश्यकता आन पडी है इसलिये प्रार्थीगण खातेदारी हक अधिकार की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 हैक्ट में हम प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/3—1/3 हिस्सा यानी प्रार्थीगणों का संयुक्त रुप से 2/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 का 1/3 है एंव आराजी संख्या 1217, 1218, 1320 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि में प्रार्थीगण का 1/24—1/24 हिस्सा यानि संयुक्त रूप से 2/24 हिस्सा है व कुएं की आराजी संख्या 311, 699, 1237 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त सभी पुश्तैनी भूमियां विपक्षी संख्या 1 के नाम पर है और बेदखल करने व विक्रय कर भूमियों को अन्य को प्रवेश कराने व भूमियों में प्रवेश नही करने की धमदी दी है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि भूमियां विपक्षीगण को खुर्द—बुर्द कर किी अन्य को हस्तान्तरित कर दी गई तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि ग्राम राणास की उक्त वादवर्णित आराजियात संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, 1217, 1218, 1320, 311, 699, 1237 में वर्णित भूमि को विपक्षीगण कियी अन्य को विक्रय, रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमियो में विपक्षीगण नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें न अन्य करावे तथा जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 स्वयं उपस्थित पर कोई जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थीगण खातेदार कृषक है और उक्त आराजी पर विपक्षीगण जबरन कब्जा करना चाहते है विपक्षीगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप मे दर्ज है। मौके पर प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्णित भूमि प्रार्थीगण क कब्जे है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की जायन्दा पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है एवं विपक्षी की पैतृक सम्पति में प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित होता है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एव सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में तथा उक्त वादवर्णित भूमि विपक्षी किसी को रहन, बय, बक्षीस कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपुर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम राणास की उक्त वादवर्णित आराजियात संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, 1217, 1218, 1320, 311, 699, 1237 में वर्णित भूमि को विपक्षीगण कियी अन्य को विक्रय, रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमियो में विपक्षीगण नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें न अन्य करावे तथा जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवें। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

14.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा